



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2012/चैत्र 7, 1934

No. 507]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2012/CHAITRA 7, 1934

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2012

का.आ. 585(अ).—नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिनांक 11 अप्रैल, 2005 के का.आ. 542(अ) तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी, 2007 के का.आ. 12(अ) और 6 जनवरी, 2009 के का.आ. 36(अ) की अधिसूचनाओं के क्रम में, भारत सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारों का उल्लेख करती है जिनके उक्त अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) के रूप में पंजीकृत व्यक्ति निम्नलिखित सुविधा के पात्र होंगे, अर्थात् :—

“राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि प्रवासी भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई ओसीआई पंजीकरण पुस्तिकाओं को किसी भी सेवा के लिए उनकी पहचान के रूप में माना जाए। यदि उनके आवास का प्रमाण अपेक्षित है तो प्रवासी भारतीय नागरिक नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र यह कहते हुए दे सकता है कि इस विशेष/विनिर्दिष्ट पते को भारत में उनके आवास स्थान के रूप में माना जाए और वह शपथ-पत्र में विदेशी आवासीय पते के साथ-साथ ई-मेल पता, यदि कोई हो, भी दे सकता है।”

[फा. सं. ओआई-15013/2/2010-डीएस]

विनय साहनी, संयुक्त सचिव

S.O. 585(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 7B of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 542(E), dated 11th April, 2005 and in the Ministry of Overseas Indian Affairs S.O. 12(E), dated 6th January, 2007 and S.O. 36(E), dated 6th January, 2009, the Government of India hereby specifies the following rights to which persons registered as Overseas Citizens of India (OCI) under Section 7A of the said Act, shall be entitled namely :—

“State Governments should ensure that the OCI registration booklets of OCIs are treated as their identification for any services rendered to them. In case proof of residence is required, Overseas Citizens of India may give an affidavit attested by a notary public stating that a particular/specific address may be treated as their place of residence in India, and may also in their affidavit give their overseas residential address as well as e-mail address, if any.”

[F.No. OI-15013/2/2010-DS]

VINAY SAHNI, Jt. Secy.